मु.नं. 16/22 महादेव बनाम रामकुंवर

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12/2/2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता विनोद कुमार शर्मा हाजिर। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 13/02/2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	13/02/2024	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थना पत्र पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। ~~प्रार्थ~~ प्रार्थी की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि प्रार्थी ने दावा विभाजन का पेश किया है विवादित भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है जब तक विवादित भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर समान हक व अधिकार होता है कोई भी सहखातेदार वादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भाग को अपना नहीं कह सकता. ना ही बेचान रहन हस्तान्तरण कर सकता, ना ही बिना बंटवारा, बिना किस्म परिवर्तन कराये कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कर कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर सकता है ऐसी स्थिति में	

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		अभ्यर्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं समझते है [signature] अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील मूल वाद के साथ शामिल मिसल हो। [signature]